[भाग II--खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : सितम्बर 28, 2013/आश्विन 6, 1935

	(12)				
5.	Director or Deputy Secretary (Incharge Regional Station for Forage Production and Demonstration)	Member	12		
	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :—				
1.	Animal Husbandry Commissioner:	—Chairman			
2.	Joint Secretary (Incharge Regional Station for Forage Production and Demonstration)	Member		i.	
3.	Joint Commissioner or Deputy Commissioner (Incharge Regional Station for Forage Production and Demonstration)	—Member			
4.	Director or Deputy Secretary (Incharge Regional Station for Forage Production and Demonstration	—Member			
			[F. No.3	39-17/2009-Admn	III (FF)]
	N			R. S. JAYAL, Un	der Secv.

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2013

सा.का.नि. 240.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल-भूतल परिवहन मंत्रालय, परिवहन अनुसंधान प्रभाग (परिवहन पक्ष) (कनिष्ठ अन्वेषक एवं संगणक) भर्ती नियम, 1987, को जहां तक उसका संबंध कनिष्ठ अन्वेषक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में कनिष्ठ अन्वेषक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन अनुसंधान प्रभाग, कनिष्ठ अन्वेषक संमूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.—उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन उससे उपाबद्ध वेतनमान वह होगा, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहता.---वह व्यक्ति,---

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेंगी।

1341

THE GAZETTE OF INDIA: SEPTEMBER 28, 2013/ASVINA 6, 1935

[PART II-SEC. 3(i)]

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

			अनुसूची		
पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ अन्वेषक	05* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड- 2, 9300 — 34800 रु. + (ग्रे वेतन 4200 रु.)	चयन	30 वर्ष से अनधिक टिप्पण(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय ।
н.					टिप्पण 2 :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक
					तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम,
а. Г		i i		8. 	मेघालय, अरुणाचल परेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मी
					राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिल तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंदमान और निकोबार द्वीप य लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लि विहित की गई है।)
सीधे भर्ती के और अन्य 3	े लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं		और शैक्षिक	ए जाने वाले लिए विहित आयु अर्हताएं प्रोन्नत दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
				8)	(9)
मे अर्थशास	(7) मान्यता प्राप्त विश्वविद्या त्र या अनुप्रयुक्त अर्थशास या अर्थमिति में स्नातक व	त्र या व्यवसाय	आयु-	- नही; 1क अर्हता – नहीं	सीधे भर्ती और प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तिों के लिए दो वर्ष
या	यता प्राप्त विश्वविद्यालय				

1342

[भाग []—खण्ड 3(i)]

(7)

से गणित (अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में) स्नातक की डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सांख्यिकी (अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में) में स्नातक की डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य (अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में) में स्नातक की डिग्री टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं,

दशा म उन कारणा का लिए जा लखबद्ध किए जाए, केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वै श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

उस नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो ; या

N2	(10)	(11)		
	्वारा 80% और; ते द्वारा जिसके न हो तेनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति-ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन बैंड-1,5200-20200 रु. ग्रेड वेतन 2400 रु. की श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो औ जिसने मंत्रालय या सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान द्वारा प्रबंधि कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है ।		
		टिप्पण 1- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कैर ली हो ।		
		टिप्पण 2- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पिहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचन का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में गई सेवा समझी जाएगी ।		
	2 2	प्रतिनियुक्तिः : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : क(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड- वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु. या समतुल्य में पद पर नियुक्ति के पश्चात		

3994 GI/13-4

	(10)	(11)
16 B		 (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. या समतुल्य में पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की सेवा की हो; और ख. स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथा-विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हता रखते हैं : टिप्पण 1- : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीध पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नह
		होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विच किए जाने के पात्र जाने के पात्र नहीं होंगे । टिप्पण 2-: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उस या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किस अन्य काडर–बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन व से अधिक नही होगी ।
		टिप्पण 3-: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीम आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4- प्रतिनियक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिका
		द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से वह तारीख जिसे छठे वेतन आयोग की सिफारि पर आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमि आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक प्
		पुनरीक्षित वेतनमान को एक साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ ए श्रेणी में विलय हो गया है और जहां यह फायदा केवल उसी पद (उन पदों) लिए विस्तारित किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बि किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा सम

		आयोग से परामश किया जाएगा
(12)		(13)
प्रोन्नति और पुष्टि के लिए समूह 'ख' विभागी प्र	ोन्नति समिति	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।
जो से निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. उप सचिव, या निदेशक (स्थापना)	—अध्यक्ष	
 उप निदेशक (टीआर) 	—सदस्य —सदस्य	
3. अवर सचिव (साधारण)		[सं. ए. 12018/2/2011-ई-1]

स. ए. 12018/2/2011-६-1] देवराज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

New Delhi, the 24th September, 2013

G.S.R. 240.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the erstwhile Ministry of Surface Transport, Transport Research Division (Transport Wing) Junior Investigator and Computer) Recruitment Rules, 1987 in so far they relate to the post of Junior Investigator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Investigator in the Ministry of Road Transport and Highways, namely :—

[भाग II—खण्ड 3(i)]

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Road Transport and Highways, Transport Research Wing, Junior Investigator, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc..—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification .- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

		*)	SCHEDULE		
Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Investigator.	05* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted, Non- Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300– 34800 plus Grade Pay of Rs.4200	selection	Not exceeding 30 years Note 1 : Relaxable for Government servants upto five years, in accordance with the instructions or orders issued by the Central Governtment from time to time. Note 2 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Megalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub- Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).



1346	THE GAZETTE OF INDIA: SEPTE	MBER 28, 2013/ASVINA 6, 1935	[Part II—Sec. 3(i
Educational and direct recruits	d other qualifications required for	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if an
	(7)	(8)	(9)
Economics or B	gree in Economics or Applied Business Economics or Econometric and University or Institute.	Age:No; Educational Qualifications: No	Two years for direct recruits and promotees.
	OR		
Graduate Degre as a subject) fro	ee in Mathematics (with Economics om a recognised University or Institute.		
6 I . D	OR		
as a subject) fro	ee in Statistics (with Economics om a recognised University or Institute.		8
Graduate Degre as a subject) fr	OR e in Commerce (with Economic om a recognised University or Institute.		
the Central Gov	ications are relaxable at the descretion of vernment for reasons to be recorded in of candidates otherwise well qualified.		
			9
or by promot	cruitment: Whether by direct recruitme ion or by deputation/absorption and the vacancies to be filled by various	absorption, grade	nt by promotion or deputation s from which promotion sorption is to be made
	(10)	7.	(11)
(i) Eighty per	cent. by direct recruitment and :	Promotion:	
	cont. by an our roor and none and r	5	
(ii) twenty per by deputat	cent by promotion failing which	2400 with Ten years regula undergone computer tra	200-20200 with grade pay of R r service in the grade, and hav ining course arranged by th e of Secretariat Training ar
	cent by promotion failing which	2400 with Ten years regula undergone computer tra Ministry or the Institut Management. Note 1 : Where juniors who or eligibility service are b their seniors would also b not short of the requisite q more than half of such qu two years, whichever i completed their probation	r service in the grade, and have ining course arranged by the of Secretariat Training a b have completed their qualify using considered for promotion be considered provided they ualifying or eligibility services alifying or eligibility services is less, and have successful period for promotion to the no their juniors who have alreed

1. 1

भारत का राजपत्र : सितम्बर 28, 2013/आश्विन 6, 1935

1347

11	11)	
0	11)	

from which the revised pay structure based on the sixth pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission

Deputation:

Officers of the Central Government.---

A (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department. OR

(ii) with six years service in the grade rendered after appointment on a regualr basis in PB-1.

Rs. 5200- 20200 with grade pay of Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre or department: OR

(iii) With ten years service in the grade rendered after appointment the recruits a regular basis in PB-1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2400 or equivalent in the parent cadre or department; and

- (B) possessing the education qualifications as specified for direct recruits under Column (7).
- Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- Note 2: Period of deputation including period of depuation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organiszation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.
- Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
- Note 4: For purpose of appointment on deputation basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exist, what is composition	sit	Circumstances in which Union Public Servi Commission is to be consulted in makin recruitment	
(12)	1. Contraction of the second sec	(13)	
Group 'B' Departmental Promotion Committee, for	Consultation with Union Public Service		
promotion and confirmation consisting of :	27	Commission not necessary.	
1. Deputy Secretary/Director (Establihshment)	—Chairman		
2. Deputy Director (TR)	-Member		
3. Under Secretary (General),	-Member		

[No. A-12018/2/2011-E-I] D. R. SHARMA, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road. Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.